

मु० न०:- 65/2024

तारीखरजू:- 5/6/24

उनवान:- रामअवतार बनाम बाबूलाल वगै०
दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
5 ⁶ / ₂₄	<p>वादी की ओर से श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत तकास्मा, स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 15.07.2024 को पेश हो।</p> <p>(सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी</p>
15 ⁷ / ₂₄	<p>पत्रावली पेश हुई। मुद्दा नं० 1, 2 के नोटिस काउम लागू प्राप्त हुई है। मुद्दा मुद्दा नं० 3, 4 की ओर से वैकैफार सरकार उपस्थित। वारंटे लवपी दिनांक 30.7.24 को पेश हो।</p>
30 ⁷ / ₂₄	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 1, 2 के पुनः सही पते पर नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को दिशापत्र दी गई। वारंटे लवपी दिनांक 14.8.24 को पेश हो।</p>
14-8-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील की पुनः मुद्दा नं० 1, 2 के नोटिस पेश करने की दिशापत्र दी गई। वारंटे लवपी दिनांक 11.8.24 को पेश हो।</p>



